चतरू बनाम गिर्राज वगै0

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या : 17/442

04.09.2019	पत्रावली पेश हुई । रिव्यू प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के द्वारा पेश कर कथन किया है कि इस न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2017 में इस न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया कि बालादास जी द्वारा आलेखित दानपत्र दिनांक 09.07.1965 को एक दान पत्र अपनी पुत्री चतरू बाई के पक्ष में आराजी खसरा नम्बर 143 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 47 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा में से 05 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 280 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा में से 06 बीघा के पक्ष में पंजीयन करवा उसी दिन 4.30 पीए पर रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण के पिता व दादा रामचन्द्र जी के पक्ष में खसरा नम्बर 57 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 143/1 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 249 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 239 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 47 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा में से 06 बीघा, खसरा नम्बर 280 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा में से 06 बीघा 01 बिस्वा के पक्ष में दानपत्र पंजीकृत करवाया उक्त दोनों दानपत्र में वर्णित आराजी भिन्न–भिन्न होने के बावजूद माननीय न्यायालय ने दोनों दानपत्रों में वर्णित आराजी समान होना मान लिया जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2017 निरस्त फरमाया जावे । अप्रार्थी ने कथन किया कि रिव्यू का बहुत सीमित क्षेत्र होता है । ऐसी त्रुटि जो **Apparent on the face of record** हो उसी को दुरूस्त किया जा सकता है । प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश किया गया है । धारा 05 का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया है । प्रार्थी को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से यदि कोई आपत्ति है तो उसके लिए माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में चाराजोही करनी चाहिए थी । दानपत्र में बालादास द्वारा उनकी सम्पूर्ण आराजी के बाबत् दान अप्रार्थी के पक्ष में किया है । न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे । हमने रिव्यू प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । इस न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.06.2016 से चतरू बाई अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में पारित डिक्री को निरस्त किया है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.01.2016 में रेस्पोडेन्टगण को चरण संख्या 01 में अंकित कृषि भूमि खसरा नम्बर 417 रकबा रकबा 0.02 हैक्टर, 636 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 637 रकबा 1.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 638 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 989 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 990 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 1004 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 1008 रकबा 0.13 हैक्टर कुल 08 किता की रकबा 2.99 हैक्टर आराजी का खातेदार घोषित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर दो दानपत्र असल पेश किये

गये हैं जो प्रदर्श हो रहे हैं एक दानपत्र चतरू बाई के पक्ष में निष्पादित किया गया है वह प्रदर्श– ए–2 है और एक अन्य दानपत्र जो रामचन्द्र के पक्ष में निष्पादित है वह प्रदर्श– 2 है । दोनों पत्रों में आराजीयात साबिक खसरा नम्बरान के साथ दर्ज है जबकि डिक्री हाल खसरा नम्बरान के साथ पारित की गई है । ऐसी स्थिति में दोनों दानपत्रों में अंकित आराजी के साबिक खसरा नम्बरान की नकल जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल एवं हाल खसरा नम्बर की जमाबन्दी से मिलान करने के उपरान्त ही कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों दानपत्रों में अंकित आराजी भिन्न–भिन्न हैं अथवा नहीं । यह रिव्यू के परिक्षेत्र में नहीं आता है क्योंकि रिव्यू का स्कोप बहुत सीमित होता है । **Apparent on the face of record** कोई त्रुटि यदि पाये जावे तो उसका सुधार रिव्यू के माध्यम से किया जा सकता है । तद्नुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 16.06.2017 के विरूद्ध प्रार्थी रेस्पोडेन्ट माननीय राजस्व मण्डल में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा